आई0डब्लू0एम0 पी0 कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय

वर्षा पर निर्भर किसानों की सामान्य समस्यांये जैसे :

1–समय से वर्षा न होने से फसल की पैदावार में कमी ।
2–मलाईदार परत बहने से जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी।
3–पानी की से खेती से रोजी–रोजगार में कमी।

वर्षाधारित क्षेत्रों के विकास में आई0डब्लू0एम0 पी0 कार्यक्रम की आवश्यकता

प्रदेश में आज भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता कम है एवं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर पडता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में गरीबी, जल की कमी,भूजल स्तर में तेजी से गिरावट तथा जल,जमीन, जंगल का कमजोर ताना–बाना की भयावह स्थिति है । मृदा कटाव के कारण कमजोर होती भूमि , जल की कमी , सिकुडती जोत का आकार , चारे की कमी,पशुधन से अत्यन्त कम उत्पादन,जल उपयोग की क्षमता में कम निवेश,सुनिश्चित और लाभकारी विपणन अवसरों की कमी आदि इन क्षेत्रों की मुख्य समस्यायें हैं ।

वर्षाधरित क्षेत्र को समृद्धशाली बनाने के लिए वहॉ की जमीन, जल, प्राकृतिक वनस्पतियॉ, फसलें व पशुओं की समस्याओ को दूर करके वहॉ के निवासियों की क्षमताओं को विकसित करना होगा । इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों यानी जल,जमीन, जंगल व जानवरो का संरक्षण, विकास और प्रबन्धन करना होगा। **आई0डब्लू0एम0 पी0 कार्यक्रम से वर्षाधरित क्षेत्र की इन समस्याओं का समाधान सम्भव है।**

आई0डब्लू0एम0 पी0 कार्यक्रम के उद्देश्य

(1)कमजोर सूखा एवं भूमि प्रभावित भूमियो का विकास
(2) कृषि, उद्यानकी , वानकी , जलीय खेती,पशुओं एवं सूक्ष्मउद्यमों की उत्पादकता बढाना।
(3) आई0डब्लू0एम0 पी0 वाले क्षेत्रों के संसाधनहीन एवं गरीब लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं अजीविका सुधार लानें हेतु रोजगार सृजित करना।
(4)जल, जमीन ,जंगल, जानवरों के संरक्षण तथा विकास के द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः बहाल करना।
(5), गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक अधिकार सम्पन्नता तथा गांव के मानव संसाधनों और अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास।

आई0डब्लू0एम0 पी0 के मुख्य कार्य

1– मृदा एवं जल संरक्षण
2– भूमि,उद्यानकी एवं वानकी विकास
3–उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम
4–अजीविका विकास
5–लक्षित समूह का क्षमता संवर्धन

आई0डब्लू0एम0 पी0 में ग्रामीणों की सहभागिता की आवश्कता

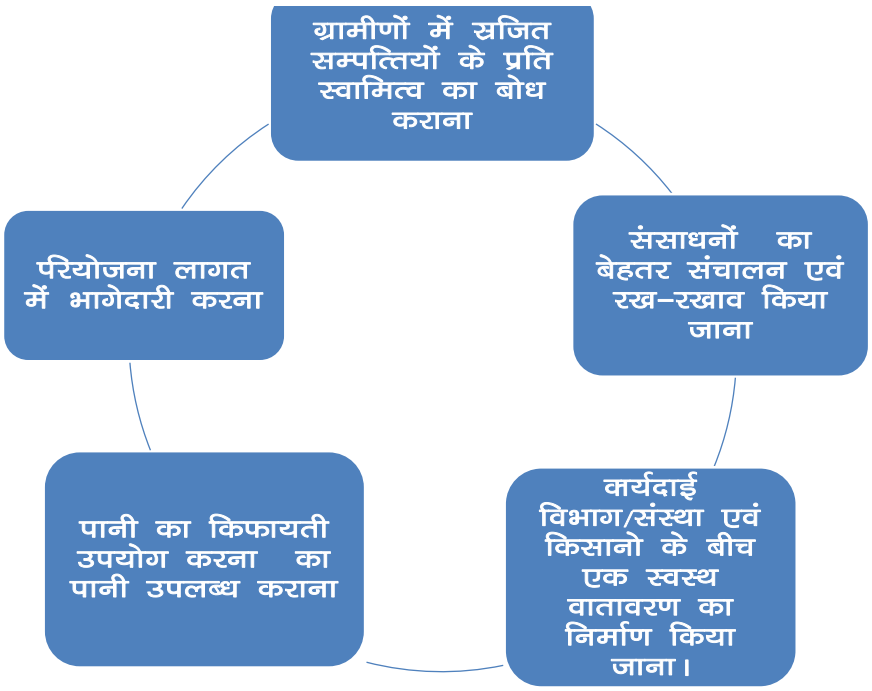

"सहभागिता अपनायेंगे, उत्पादन बढायेंगे।

1. आई0डब्लू0एम0 पी0 के चरण –

चरण	नम	अवधि
1	प्रारंभिक कार्य चरण	1–2 वर्ष
2	वाटरशेड कार्य चरण	2–3 वर्ष
3	समेकन और निवर्तन चरण	1–2 वर्ष

चलाई गई योजनाओं से हुये लाभ –

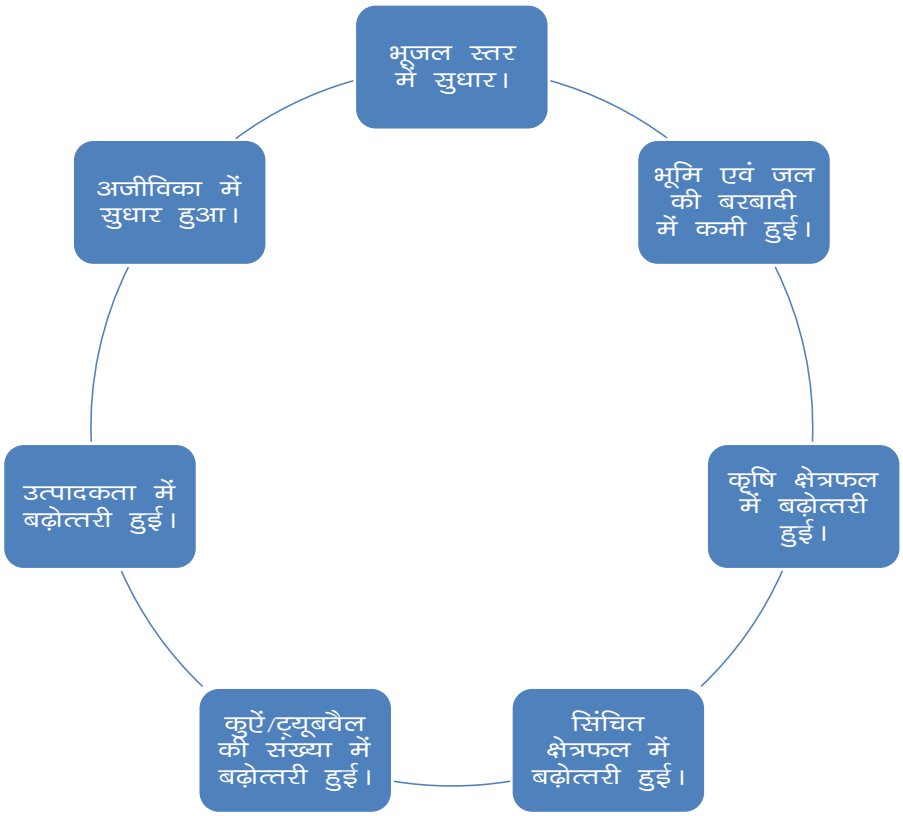

"जलसंरक्षण से जब जुड़ जायेगा मन, किसान बनेगा अति सम्पन्न ।

2. — आई0डब्लू0एम0 पी0 का संस्थागत ढॉचा

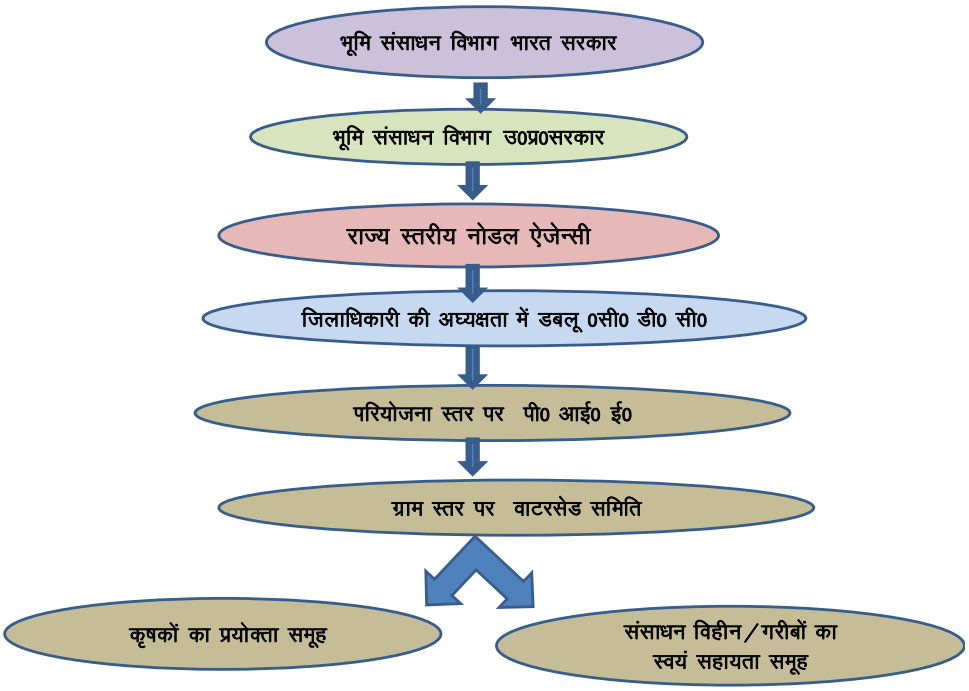

वाटरशेड विकास निधि –

वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवों के चयन हेतु वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यू0डी0एफ0) में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना एक अनिवार्य शर्त है। यह अंशदान निजी भूमि पर निष्पादित एन0आर0एम0 कार्यों की लागत का सामान्य किसानों के लिय का न्यूनतम 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में यह अंशदान 5 प्रतिशत होगा । निजी भूमि पर मत्स्य पालन, वागवानी, कृषि वानिकी, पशुपालन आदि लागत प्रधान कृषि कार्यकलापों, जिनसे किसानों को सीधे लाभ प्राप्त होता है, सामान्य श्रेणी के किसानों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा तथा कार्यकलापों की शेष लागत अर्थात सामान्य श्रेणी के लिए 80 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की श्रेणी के लिए 90 प्रतिशत परियोजना निधियों से पूरी की जाएगी जो रु0 24000/से अधिक नहीं होगी।

परियोजना में स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय सहायता के प्राविधान

I. कुल परियोजना धनराशिका 9 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/ सम्पत्तिहीन लोगों व महिलाओं आदि की आजीविका अंश के लिए मात्राकृत है।

II. मात्राकृत धनराशि का 70 प्रतिशत स्वंय सहायता समूह को सीडमनी के रुप में एक स्वंय सहायता समूह को अधिकतम 25000.00 रू0 तक तथा 30प्रतिशत वृहद आजीविका क्रियाकलापों हेतु उद्यमशीलस्वंय सहायता समूह/स्वंय सहायता समूह संघो को कलाप की लागत के 50 प्रतिशत या रू0 2.00 लाख जो भी कम हो, अनुदान के रूप में देय होगी ।

III. स्वंय सहायता समूह प्रारंभिक धन (सीडमनी)एवं वृहद आजीविका क्रियाकलापों की धनराशि अधिकतम 18 किस्तो मे वापस की जा सकती है। किस्तों की संख्या तथा धनराशिका निर्धारण डब्लू0सी0 द्वारा, क्रिया कलापों के प्रकार, समूह की क्षमता तथा उनकी बचत राशि के आधार पर किया जायेगा ।

IV. बृहद आजीविका क्रिया कलापों हेतु वित्त पोषण से उद्यमशील स्वंय सहायता समूह/स्वंय सहायता समूह संघ (कम से कम 5 स्वंय सहायता समूह) को डब्लू0सी0 द्वारा संस्तुत बृहद क्रिया कलापों अथवा उनके विस्तार/उच्चीकरण के लिए मिश्रित ऋण (Composite Loan) की उपलब्धता सुनिष्चित हो सकेगी।

वाटरसेड समिति के कार्य –